

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 317 / 2009
संस्थान दिनांक 17.08.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

महेश पिता नानुराम कुशवाह
आयु 36 वर्ष, ग्राम-मगरिया,
थाना मेनगाँव, जिला - खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 21.11.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 103 / 2009 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 17.08.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 31.05.2009 को 3 बजे राजेश जीनिंग के सामने अंजड-बड़वानी रोड अंजड में यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से वाहन मारुति वेन क्रमांक क्रमांक एम.पी. 09 बी. ए. 0884 को सामने से टक्कर मारकर अशोक, उमाशंकर, रामजीलाल, संगीता, शांता, ग्यारसी, सहिदा, नाजनिन, सोनिका, मोहसिन, जीवन, अहिल्या, ओमप्रकाश, ऋषि, दिव्यानी, सरोज, लक्ष्मी व मनीष को उपहति कारित करने तथा फरियादीगण काजल, हेमलता, कृष्णा और कपिल की ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 31.05.2009 को फरियादी प्रकाश एवं दिनेश उसके मकान के सामने खड़े थे कि बड़वानी की ओर से एक यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ.ए. 0278 के चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और बड़वानी की ओर जा रही मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 बी. ए. 0884 को सामने से टक्कर मार दी जिससे मारुति वेन में बैठे व्यक्तियों को चोंटें आई तथा बस में बैठी सवारियों को भी चोंटें आई। फरियादी प्रकाश व दिनेश ने मारुति वेन के अंदर तथा यात्री बस के अंदर से घायलों को बाहर निकाला। वेन के चालक एवं उसमें सवार एक महिला तथा एक लड़की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को अन्य व्यक्तियों की मदद से चिकित्सा हेतु अंजड़ अस्पताल पहुँचाया। फरियादी प्रकाश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/2009 अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी प्रकाश की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया। पुलिस ने वाहन यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 29 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी प्रकाश की निशांदाही से वाहन यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 को जप्त कर प्रदर्शपी 30 का जप्ती पंचनामा बनाया व फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304—ए (4 शीर्ष) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2009 को 3 बजे राजेश जीनिंग के सामने अंजड़—बड़वानी रोड़ अंजड़ में यात्री बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 बी. ए. 0884 को सामने से टक्कर मारकर अशोक, उमाशंकर, रामजीलाल, संगीता, शांता, ग्यारसी, सहिदा, नाजनिन, सोनिका, मोहसिन, जीवन, अहिल्या, ओमप्रकाश, ऋषि, दिव्यानी, सरोज, लक्ष्मी व मनीष को उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर काजल, हेमलता, कृष्णा और कपिल की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी कैलाश (अ.सा.1), प्रकाश परमार (अ.सा.2), सुरेश (अ.सा.3), अशोक (अ.सा.4), दैव्यानी मालवीय (अ.सा.5), सरोज मावलीय (अ.सा.6), ऋषि मालवीय (अ.सा.7), गणेश मालवीय (अ.सा.8), मनीष उर्फ मोहसीन (अ.सा.9), डॉ. जयप्रकाश पण्डित (अ.सा.10), गणेश पिता बाबुलाल (अ.सा.11), जीवन चांदोरे (अ.सा.12), ओमप्रकाश आर्य (अ.सा.13), अजय नाईक (अ.सा. 14), शांताबाई (अ.सा.15), डॉ. प्रकाशचन्द्र बरफा (अ.सा.16), लक्ष्मीबाई (अ.सा.17), श्रीमती सोनिका मण्डलोई (अ.सा.18), सुभाष सुलिया (अ.सा.19) एवं शैलेन्द्रसिंह ठाकुर (अ.सा.20) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रकाश असा 2 का कथन है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व उसके घर के सामने बस एवं मारुति वेन की दुर्घटना हो गई थी उस समय वह घर के अंदर था। आवाज आने पर वह घर के बाहर आया, वहाँ पर भीड़ थी तथा बस एवं वेन वही पर खड़ी थीं। उसमें एक-दो व्यक्ति की वही पर मृत्यु हो गई थी, बाकि व्यक्तियों को अंजड़ अस्पताल ले गये थे। उसने बस व वेन का क्रमांक नहीं देखा। साक्षी ने प्रदर्शपी 3 की रिपोर्ट, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 एवं जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 पर अपने हस्ताक्षर

स्वीकार किये है। साक्षी का यह कथन है कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 5 में बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ.ए. 0278 के चालक द्वारा बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 बी. ए. 0889 को टक्कर मारने की बात नहीं बताई थी। पुलिस ने कैसे लिख ली, वह कारण नहीं बता सकता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने हस्ताक्षर करने के पूर्व उक्त दस्तावेजों को देखा नहीं था और उसने घटना होते हुए भी नहीं देखी थी।

8. कैलाश असा 1 ने घटना के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार किया है तथा न्यायालय द्वारा पूछने पर केवल प्रदर्शपी 1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 2 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

9. सुरेश असा 3, अशोक असा 4, गणेश पिता बाबुलाल असा 11, जीवन चांदोरे असा 12, शांताबाई असा 15, लक्ष्मीबाई असा 17, श्रीमती सोनिका असा 18 भी बस में बैठकर जाने और उक्त बस की दुर्घटना मारुति वेन से होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों ने यह भी कथन किया कि उन्होंने बस के चालक और वेन के चालक को नहीं देखा था। गणेश असा 11 का यह भी कथन है कि वेन के चालक ने उनकी बस को सामने से टक्कर मार दिया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मारुति वेन को टक्कर मार दी थी। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है।

10. ऋषि मालवीय असा 7 ने दिनांक 31.05.2009 को मारुति वेन में बैठकर कपिल, सरोज, हेमलता, कागज, दैव्यानी, मोहसीन एवं जीजा ओमप्रकाश के साथ बड़वानी जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि कार को चालक कृष्णा चलाकर रहा था। अंजड़ के पास कृषि उपज मण्डी के सामने उनकी मारुति वेन की सामने से आ रही मुरलीराज की बस से टक्कर हो गई थी, जिससे उसके शरीर पर चोट आकर जबड़ा टूट गया था। वेन में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी तथा उसके भाई कपिल एवं बहन हेमलता, भतीजी काजल एवं वाहन चालक राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि मुरली बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ला रहा था, इस कारण उनकी कार को टक्कर लगी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह वाहन चालक के पीछे वाली सीट पर बैठा था और उसका चेहरा पीछे की ओर था। पुलिस को उसने मुरलीराज के बस के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से बस चलाकर लाने की बात प्रदर्शपी 1 के कथन में नहीं बताई थी।

11. दैव्यानी असा 5, सरोज असा 6, गणेश मालवीय असा 8, मनीष असा 9 ने भी मारुति वेन में बैठकर जाने और बस से दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि दुर्घटना में उन्हें चोंटें आई थीं। कपिल काजल एवं हेमलता की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उनका ईलाज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी दैव्यानी असा 5 ने यह स्वीकार किया कि वह टक्कर होते समय टक्कर करने वाले वाहन को नहीं देख पाई थी और टक्कर मारने वाला वाहन किस गति से आया था, वह भी नहीं देख पाई थी।

12. सरोज मालवीय असा 6 ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि मुरलीराज बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी कार को टक्कर मार दी थी। गणेश मालवीय असा 8 ने लाश पंचायतनामा एवं सफीना फार्म प्रदर्शनी 9 से 12 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शनी 13 के कथन में बस का क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 बताया था। मनीष असा 9 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उनकी वेन किस बस से टकराई थी उसे नहीं देख पाया था।

13. डॉ. जे.पी. पंडित असा 10 का कथन है कि दिनांक 31.05.2009 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में दुर्घटना में चोंट आने से संगीता पिता संतोष, शांताबाई पति छगन, ग्यारसीबाई मण्डलोई, सईदा पति इमरान, नाननीज पिता इकबाल, मोहसीन पिता रजाक, जीवन चांदोरे, अहिल्या मण्डलोई, ओमप्रकाश, दैव्यानी पिता कपिल, लक्ष्मी पति शोभाराम, मनीष मालवीय, कपिल मालवीय, का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें प्रदर्शनी 14 से 26 में दर्शित चोंटें होना पाई थी। इस साक्षी ने मृतक कागज पिता कपिल के शव का परीक्षण कर शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शनी 27 तैयार करना बताया है तथा सोनिका मण्डलोई का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे प्रदर्शनी 28 में चोंटें होना पाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक एवं आहतों को आई चोंटें कार के पलटने से आना संभव है।

14. डॉ. प्रकाशचन्द्र बरफा असा 16 ने दिनांक 21.05.2009 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में कपिल पिता सालकराम के शव का परीक्षण कर प्रदर्शनी 34 का शव प्रतिवेदन तैयार करना बताया था।

15. सुभाष सुल्या असा 19 ने दिनांक 31.05.2009 को थाना अंजड़ में फरियादी प्रकाश पिता भगवान की रिपोर्ट के आधार पर बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ.ए. 0278 के चालक द्वारा बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर राजेश जीनिंग के सामने मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 बी.ए. 0884 को टक्कर मारकर 3 व्यक्तियों की मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कथन किये है तथा प्रदर्शपी 3 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने मर्ग सूचना प्रदर्शपी 35 की दर्ज की थी जिसके ए स ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी तथा बस व कार का क्रमांक रिपोर्ट में नहीं लिखाया था।

16. शैलेन्द्रसिंह ठाकुर असा 20 का कथन है कि दिनांक 01.06.2009 को थाना अंजड़ में जिला अस्पताल बड़वानी में दुर्घटना में घायल कपिल की मृत्यु हो जाने के संबंध में मर्ग सूचना प्राप्त होने पर उसने मर्ग क्रमांक 31/2009 प्रदर्शपी 36 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

17. अजय नाईक असा 14 का कथन है कि वह अभियुक्त महेश को नहीं जानता है। वह पिछले 15 वर्ष से मुरलीराज ट्रांसपोर्ट कम्पनी में मेनेजर के रूप में कार्य करता है। कम्पनी की लगभग 25 बसे है। उसे ध्यान नहीं है कि उसने कम्पनी की बस को पावर ऑफ अटर्नी से सुपुदर्गी पर लिया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ.ए. 0278 को आममुख्यार नामे से न्यायालय से सुपुदर्गीनामे पर प्राप्त किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उस बस पर चालक था और अभियुक्त ने उसे बताया था कि बस की मारुति वेन से टक्कर हुई थी। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 32 का कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है।

18. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने तथा बस की टक्कर मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 बी.ए. 0884 उसमें सवार कागज, हेमतला, कृष्णा एवं कपिल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो आपराधिक मावन वध की श्रेणी में नहीं आती है तथा शेष आहतों को उपहति कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है। यहाँ तक कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले साक्षी प्रकाश परमार असा 2 ने भी घटना की रिपोर्ट अपने द्वारा थाने में लिखाने और घटना देखने से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या कोई भी अन्य अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त महेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त महेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 338, 304-ए (4 शीर्ष) भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा से रिहा किया गया।

20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी. 09 एफ. ए. 0278 दिनांक 02.06.2009 को उसके पंजीकृत स्वामी श्रीमती दिप्ती जैन पति रवि जैन, निवासी-इन्दौर तर्फे आममुख्यार अजय पिता रविशंकर नाईक निवासी- खरगोन म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी